डिफ़ेन्स सैलरी पैकेज, अग्निवीर : उपलब्ध सुविधाएँ

- शून्य अधिशेष खाता एवं भारत में किसी भी बैंक के एटीएम पर असीमित संख्या में निशुल्क लेन-देन
- निश्ल्क अन्तर-राष्ट्रीय गोल्ड डेबिट कार्ड
- वेतन् खाते हेत् कोई वार्षिक रखरखाव श्ल्क नहीं
- संयुक्त खाताधारक हेत् निश्ल्क डेबिट कार्ड
- असीमित निश्ल्क माँग-ड्राफ्ट की स्विधा (वेतन खाते से वित-पोषित होने पर)
- प्रतिमाह 25 निश्ल्क चेक पत्रक
- निशुल्क ₹ 50 लाख की संपूरक <u>दुर्घटना (मृत्य) बीमा</u> सुविधा*
- निश्ल्क ₹ 1 करोड़ की संपूरक <u>वाय दुर्घटना बीमा (मृत्य)</u> स्विधा*
- निशुल्क ₹ 50 लाख तक, संपूरक सम्पूर्ण दिव्यांगता बीमा सुविधा∗
- निशुल्क ₹ 50 लाख तक, संपूरक आंशिक दिव्यांगता बीमा सुविधा*
- वार्षिक लॉकर किराए में लागू दरों पर 10% की छूट

• अतिरिक्त, पूरक बीमा सुविधाएं (मूल दुर्घटना बीमा दावा के भुगतान योग्य होने पर उपलब्ध)*

अग्निकारित दिव्याङ्ग्ता पर प्लास्टिक शल्यक्रिया हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹ 10 लाख
आयातित औषधियों पर व्यय हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹5 लाख
48 घंटे से अधिक कॉमा के उपरान्त मृत्यु कारित होने पर बीमा सुविधा	अधिकतम. ₹ 5 लाख
एयर एम्बुलेंस व्यय हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹10 लाख
पाल्य कन्या (आयु 18-25 वर्ष), वैवाहिक व्यय हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹10 लाख, 2
	बालिकाओं हेतु (₹5 लाख
	प्रति बालिका) ,
	1 बालिका के मामले में
	केवल ₹5 लाख)
बीमित के पाल्यों (आयु 18-25 वर्ष) हेतु उच्च-शिक्षा व्यय (स्नातक) हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹ 8 लाख
	(बालकों हेतु)
	अधिकतम ₹10 लाख
	(बालिकाओं हेतु)
यातायात खर्च बीमा सुविधा (निकटस्थ दो पारिवारिक सदस्यों के दुर्घटना स्थल पर पहुचने हेतु उपलब्ध)	अधिकतम ₹50,000
मृतावशेष के संवहन-व्यय हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹50,000
एम्बुलेंस व्यय हेतु बीमा सुविधा	अधिकतम ₹ 50,000
राष्ट्रं विरोधी / नक्सलवादी/ वैदेशिक शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही में मृत्यु कारित होने पर अतिरिक्त वैयक्तिक बीमा सुविधा	₹ 10 लाख

^{*}नियम व शर्तें लागू